फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

चौखाराम बनाम भारूराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 252/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.08.2019	प्रार्थी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम गोदारों की ढ़ाणी पटवार मण्डल कानोड़ तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थी के अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे एवं काश्त की भूमि बेचान करने एवं दखलअन्दाजी करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 09.09.2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा गोदारों की ढ़ाणी पटवार मण्डल कानोड़ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 420, 421, 765/482 रकबा क्रमशः 00.05, 42.02, 01.15 बीघा की भूमि में प्रार्थी के कब्जे एवं काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का अग्रिम बेचान नही करे तथा न ही किसी प्रकार की दखलअन्दाजी कारित करें। वर्तमान राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभय पक्षकारान् पाबन्द रहे। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 09.09.2019 को पेश हों। 07.8.2019 सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:39:20 IST
Reason: SelfAttested

09/09/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील प्राप्त तामील शुदा। वकील श्री रिछपालराम जाति-देवासी निवासी-निम्बनाड़ी (बालोतरा) की ओर से प्रार्थना-पत्र O-1, R-10 CPC वास्ते बनाने फरीक पक्षकार प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 23/09/19 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

23/09/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 14/10/19 का पेश हो।

14/10/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 व 2 के नोटिस तामील प्राप्त तामील शुदा। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र O-1, R-10 CPC का जवाब पेश नहीं किया गया। नजीरात पेश करना चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 05/11/19 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

05/11/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 14/01/2020 का पेश हो।

14/01/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा बताया कि हम उक्त प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र Not press किया गया। अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र जरिये Not press खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर ... दाखिल हो।
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Not press
(अधिवक्ता)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:39:20 IST
Reason: SelfAttested